

1

विद्यालय निर्माण समिति

विद्यालय शिक्षा समिति प्र.सं/प.सं वि.सं. शा.सं. 52

प्रबंधक श.सं. 52 को आ.सं. 2 के निर्माण कार्य हेतु

प्रस्तावित राशि 317800 = में से अधिम राशि रूपये

285680 = उपलब्ध करायी गयी थी। उपलब्ध कराये गये

उपयोगिता प्रमाण पत्र/ मार्ग सुनिश्चन के अनुसार श.सं. स्तर

तक निर्माण कार्य ही चुगत है तथा रूपये 315012 = का उपयोगिता

प्रमाण-पत्र प्रस्तुत है। विद्यालय शिक्षा समिति को बिली कर रूपये 6300 = एवं

संपत्ती रूपये 47755 = की कटौती करते हुए आगले बिलत फी राशि रूपये...

18307 = (3000 =) उपलब्ध कराये या आदेश देना चाहेंगे एवं जमी तक के सभी निर्गत

राशियो या सम्पादोजन करते हुए सौंकरा कर करने या आदेश देना चाहेंगे।

17/5/08 / 20/6/08

न.सं. 52
03.06.08

DEWANI
4/6/08

27/6/08

जिला कार्यालय बालासोर,

रूपमा संविदा के मुख्य प्रकपा जिला कार्यालय

का विभागाध्यक्ष, बालासोर - बालासोर के मुख्य कार्यालय पर का कार्यालय का
कार्यालय - 11/11/11 परिसर, बिना कार्यालय बालासोर में बालासोर के कार्यालय
कार्यालय है।

मुख्य कार्यालय पर का कार्यालय के सांख्यिकीय वकील का निर्माण कार्य
के लिए कार्य के पूर्ण हो चुका है। साथ ही कार्य के सम्पन्न होने के लिए
सूचीबद्ध विवरण निम्न की संख्या पर संलग्न है।

क्र. 2: कायदा एवं प्रमाण, कायदा संशोधन विभाग, बिहार, पटना-2
के पत्रांक 8/वि-3-1131/95-862 दिनांक 28.5.86 के कार्यालय के मा. वि.
शान्त में भी कार्य का निर्माण कार्य कराने के लिए प्राक्कृत राशि का
50% कार्यालय का पत्रांक/पंचायत सचिव कार्यालय है। का विभागाध्यक्ष
का, का विभागाध्यक्ष, बालासोर - बालासोर के कार्यालय के निर्माण कार्य का
कार्यालय - 11/11/11/

11/11/11

7-7-06

Cheque 990625
Date 8.7.06.
Rs. 98000/-

Signature

कृपा ५०/५० वि० अथल मदनपुर को निर्माण के लिए
 विद्यालय शिक्षा समिति अथल मदनपुर के साथ दिनांक
 को एकरारनामा 317 ई० हजार के आधार पर निर्माण हेतु किया गया है जिसका
 योजना नम्बर तीन माह है प्रा० पू० पर रखा गया है देखा जा सकता है। प्रथम पदा
 B.R.C. B.E.E.O. तथा द्वितीय पदा विद्यालय
 शिक्षा समिति की अध्यक्ष, भीमपुर परमाणु ई०
 सोन एन एन २२२-२२२ ५० शि०/५० वि० अथल
 मदनपुर है।

इस विद्यालय को कार्यकारिणी के निर्णयानुसार एक कमरा/दो अतिरिक्त कमरा
 निर्माण का स्वीकृति प्राप्त है। यह योजना राशि 317800/- रुपया का है जो सुपर विजन
 चार्ज के साथ है। जिसका T.S एवं N/S प्राप्त है।

विद्यालय शिक्षा समिति को कार्य प्रारम्भ की स्वीकृति के साथ 317800/- रुपया
 योजना राशि का 60% प्रथम किरत की राशि को विमुक्त करने का आदेश देना चाहेंगे।

आदेशानुसार
 - २५/०६/२००५

- (1) मरिद्विर्गिना की आधार पर दो कमरा के निर्माण
 के लिए 317800/- का स्थापना है। निर्माण कार्य
 प्रारम्भ करने के लिए प्रथम किरत 60% की राशि
 190680/- (एक लाख नब्बे हजार के हों) राशि
 रकम का रोक देना चाहेंगे।
- (2) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति देना चाहेंगे।

24/06/05
 HDP

A.C.P.
 190680
 011245
 (१) निर्माण



संस्कृत विद्यालय अनामिका
जिला शिक्षण विभाग अनामिका

22

रक 121 311 317800 अ 317800

Schedule XLV-Form No. 134

अ. 18 421 42 317800 अ 317800 रक

BIHAR F. W. D.

Rs 317800

M/S PRANPUR [MADANPUR] DIVISION

ACR (TWO ROOM) SUB-DIVISION

Estimated cost - 317800

MEASUREMENT BOOK.

सर्व शिक्षा अभियान के तहत

Schedule KLV--Form No. 134

M/S PRANPUR [MADANPUR] Division

ACR [TWO ROOM] SUB-DIVISION

Estimated cost - 317800

प्रमाणित किया जाता है कि इस माप पुस्तक में 100 (एक सौ पृष्ठ) है।
MEASUREMENT BOOK.

12

547800

29/8/08
जिला कार्यक्रम
समन्वयक
सर्व शिक्षा अभियान
मंडल

Name of officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

विद्युत नवनेमंट प्रेश, गया ।

Name of work - 1
 Situation of work
 Agency by which work is executed -
 Date of measurement -
 No. and date of agreement. 8-8-05

(Four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No	L.	B.	D	

① Name of work - Construction of school building two rooms.

② Situation - मध्य विद्यालय परानपुर

म. प्र. कमरा एवं बरामदा निर्माण / पंचायत
 म. ए. 31/41

परानपुर, परानपुर - मदनपुर जिला -

आर. ग. वा. व. म. प्र. वि. शि. आ. म. प्र.
 अ. अ. अ. अ.

③ Agency - चण्डेश्वर राम प्रकाश

ए. प्र. प्र. रा. म. वि. प्रा. प्र.

④ याचना संख्या

① providing site clearance
as per specification and
directive of E/P

5 Nos @ Rs 68 = 00 - Rs 340 = 00

② making 25 c.m (10")

dia bore hole below

ground level as per

specification and directive

of E/P

39 No x 11'-6" = 448.50 bit

= 136.74 meter

@ Rs 26 = 65/meter - - - Rs 3644 = 00

③ making 63 c.m dia

under room at required

depth

1 x 39 No = 39 No Continuation

@ Rs 28 = 40/each - - - Rs 1108 = 00

Total 50922 = 00

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	B.F.		Rs		5092 = 00

(4) Providing R.C.C (1:2:4) in pile band as per specification and depth

$$39 \times \frac{1}{4} \times (0.25 \text{ cm})^2 \times 3.5 \text{ m} = 6.69 \text{ m}^3$$

For rebar

$$39 \times 0.059 \text{ m}^3 = 2.30 \text{ m}^3$$

Total 8.998 m³

@ Rs 1934.45 / m³ ----- Rs 17406 = 00

(5) Providing local soft billings below grade beam

as per spec and direct

direct

$$(216' - 8'' - 39 \text{ Nos}) \times 10'' \times 3''$$

$$= 38.24 \text{ ch}$$

$$1.08 \text{ m}^3 @ \text{Rs } 89 = 10 / \text{m}^3 \text{ --- Rs } 97200$$

⑥ Providing 10A B/F/S
below grade beam
as per specification and
direct

$$(216' - 8'' - 39 \text{ Nos}) \times 10'' = 152.96 \text{ ch}$$

$$14.26 \text{ m}^2$$

$$@ \text{Rs } 66 = 65 / \text{m}^2 \text{ --- Rs } 95000$$

⑦ Providing R.C.C
(1:2:4) in grade beam
as per specification and
direct

$$(216' - 8'' \times 10'' \times 10'' \text{ Continuation} = 150.45 \text{ ch}$$

$$4.26 \text{ m}^3$$

$$@ \text{Rs } 2265.60 / \text{m}^3 \text{ --- Rs } 965400$$

$$\text{Total Rs } 3319900$$

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					33199 = ω

⑧ providing 100A B/W
in c.m (1:6) 4/3 to P.L.
as per spe and direct
to E/P

$216 \times 8'' \times 10'' \times 1 \frac{1}{2}'' = 225.60 \text{ ch}$

Less for stiffeners

$21 \text{ No} \times 10'' \times 10'' \times 1 \frac{1}{2}'' = 18.22 \text{ ch}$

Net B/W 207.38 ch

5.878 m³

$\text{C/P } 1157 = 25 / \text{m}^3 \text{ --- } \text{Rs } 6802 = \omega$

⑨ providing R.C.C (1:2:4)
in plinth level as per
spe and direct to E/P

$$216'-8'' \times 10'' \times 0'-3'' = 45.13 \text{ ch}$$

Less for stiffeners

$$21 \text{ No} \times 10'' \times 0'-3'' = (-) 4.37 \text{ ch}$$

$$\text{Net work} = 40.76 \text{ ch}$$

$$1.155 \text{ m}^3$$

$$\text{@ } \text{Rs } 2665.60 \text{ m}^3 - - \text{Rs } 3076.00$$

(10) Providing 100 A/B/W
in superstructure in

Con (1:6) as per spread

direction of 2/1

$$216'-8'' \times 10'' \times 10'-6'' = 1895.75 \text{ ch}$$

Deduct for door and window

$$3-4 \text{ No} \times 3'-6'' \times 10'' \times 7'-0'' = 81.66 \text{ ch}$$

$$\text{W } 8 \text{ No} \times 3'-6'' \times 10'' \times 5'-0'' = 116.66 \text{ ch}$$

$$\text{VIR } 64'-6'' \times 10'' \times 6'' = 402.96 \text{ ch} \quad \text{Total A/B } 4307.71$$

VIR beam

$$66'-2'' \times 10'' \times 8'' = 36.70 \text{ ch}$$

$$\text{Total } 637.98 \text{ ch}$$

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
B.F. P ₁					43077 = 00
B.F. quantity of concrete No. (16) 1895.75 ch					
B.F. For Deduction quantity					637.98 ch
Lintel					
12 No x 4 1/2" x 10" x 6" =					22.50 ch
above opening lintel					
beam					
1 x (15 1/4" - 54" L" - (11" - 8" S)					
x 10" x 3"					= 17.75 ch
Stiffness for class room					
14 No x 10" x 10" x 10 1/2" =					102.00 ch
Total deduct					/
Net quantity					780.23 ch
of brick work					

1895.75 ch (-) 780.23 ch
 = 1115.52 ch = 31.61 m³
 @ 1180.32 / m³ = 37310 = 00
 ii) providing R.C.C
 (1:2:4) in Lintel and Beam
 Spec and direction (S/D)
 1 x (15 1/4" - 54" x 11" - 8")
 x 0 L 3" = 17.78 ch
 0.50 m³
 @ 2274.35 / m³ = 1137 = 00
 (ii) providing R.C.C (1:2:4)
 in Lintel
 12 x 4 1/2" x 10" x 6" = 22.50 ch
 0.64 m³
 @ 2736.45 / m³ = 1751 = 00

Continuation

Total P₁ 83275 = 00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					83275=0
(13/14) providing 63mm Wick					
(are) R-c-c (1:2:4) chhaga					
6x4'-6" x 1'-6"				= 40.50 sh	
50'-6" x 1'-6"				= 75.75 sh	
				116.25 sh	
10.80 m ²					
Rate 347.65/m ²					Rs 3756=0
(14/16) providing R.c.c					
1:2:4 in slabs					
as per spec and direct					
at e/s					
2 Nos x 10' x 10' x 12" = 174.86 ch					
4.956 m ³					
Rate 2491.25/m ³					Rs 12348=0
(15/21) providing course					
sand bedding in plain					
area as per spec					
and direct at e/s					
class room					
2 x (24'-0" x 16'-6") x 1'-10" = 1449.36 m ³					
VER 48'-10" x 7'-6" x 1'-10" = 625.51 c ²					
Total 2074.87 c ²					
58.81 m ³					
Rate 89=10/m ³					Rs 5240=0

Continuation
 (total) 104619=0

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D.	
16/34 Cast of reinforcement concrete quantity		13.7	12		04619 = 00
⑥		236	500		
⑦		150	450		
⑧		45	78		
⑪		17	78		
⑫		22	50		
14/16		174	86		
		/			
		642	85		
2.5 kg / c2					= 1607.12 kg
@ Rs 19.85 / bag					= Rs 31903 = 00
17/33 Chhata 8 mm dia rod					

Quantity of steel				
140 - (13/14) 24.21 c2				
@ Rs 2.5 kg / c2 = 60.54 kg				
@ Rs 20.076 / kg				= Rs 1215 = 00
/				
Total Rs				1,37,737 = 00
Less cost of cement				
190 bags @ Rs 140 = 00 / bag				26600 = 00
Less cost of steel				
1667.66 kg = 10.66766 m.T.				
@ Rs 16,709 = 00 / m.T.				= Rs 2,78,65 = 00
/				
Total Rs				83,272 = 00
Less c.p. 9.09 % @ Rs				7569 = 00
Total Rs				75,703 = 00
Continuation				
Add cost of cement and steel as per above				@ Rs 54,465 = 00
Total Rs				1,30,168 = 00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No	L	B	D	
B.F.					130168=0
(17) Carriage charge at material					
(A) Cement 190.6 bags 9.5mm					
@ Rs 3=00 per bag					570=00
(B) steel lead 15km 1.667 m.T.					
@ Rs 103.79/m.T.					173=00
(C) Stone chips Korwar di how m.k Side lead 70km 19.00 m ³					
@ Rs 325=37/m ³					6182=00
(D) Brick 16000 Nos lead 18km					
@ Rs 377=47%					6040=00
(E) Sand lead course sand 10km 23.4 m ³					
@ Rs 114.05/m ³					2669=00
(F) local sand lead 5km 2m ³ 58.80 m ³					
@ Rs 85=10/m ³					5004=00
Add supervision charge 2.5%					150806=00 3770=00
(Total)					150806=00 154576=00
2m ³ 08/8/05 5E					
2m ³ inspected 24/9/05 A.E					
2m ³ inspected 24/9/05 E.E (NIPREP)					

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B.	D.	
Final Bill					
Construction of					
A.C.R. - 2 at middle					
School Parampur					
Block - Madanpur					
Dist - Aurangabad					
Under S.S.A.					
Agency - Siksha					
Samithi - M. School					
Parampur and					
Headmaster M.					
S. Parampur					
Date of measurement					

① - Providing					
R.C.C. MU - (1:2:4)					
in beam					
2 x 2 x 18' 2" x 10" x 12"					
= 60.29 cu ft					
= 1.71 m ³ - A					
② - Providing					
Ver. beam					
1 x 66' 2" x 10" x 8"					
= 36.24					
= 1.03 m ³ - B					
Total only (A + B)					
= 2.74 m ³					
③ Rs 3196.95 / m ³					
- - - Rs 8760.00					

Continuation Rs 8,760.00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No	L	B	D	
				Bf	8,760.00
② - Providing Rebar M15 (1:2:4) in Roof slab.					
1 x 50'6" x 26'0" x 4"					
= 438.28 cft.					
= 12.28 m ³					
② Rs 2781.45/m ³					
				Rs	34156.00
③ - Providing 6mm Cement plaster (1:4) in ceiling.					
2 (24'0" - 1'8") x 16'6"					
= 737.225 sqft.					
= 68.51 m ²					
④ Rs 37.95/m ²				Rs	2600.00
④ - Providing 12mm thick water proof cement-plaster (1:3)					
1 x 50'6" x 26'0" = 1313.00 sqft.					
= 122.03 m ²					
④ Rs 49.85/m ²				Rs	6085.00
⑤ - Providing 12mm thick Cement Plaster (1:6) including 1.5mm cement Punching. (Grade beam upto RL)					

Continuation Rs 51,601.00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					BF- 51,601.00
out side wall					
153'0" x 9'6" = 382.5					Sft
skirting					
(4 x 24'6" + 4 x 16'6") +					
(48'10" - 4 x 3'6") x 6"					
= 98.49 cft					
= 480.92 Sft					
= 44.69 m ²					
Rs 50.50/m ²					
				Rs	2257.00
⑥ - Providing					
12 mm cement					
Plaster (1:6) inner					
side of wall					
(2 x 24'0" + 4 x 16'6" + 48'10")					
x 10'6" = 2213.72 Sft					
— (A)					
Add					
(48'10" x 7'0" + 7'0" x 3'6")					
= 188.49 Sft					
Ver. Piler					
7 (4 x 10") x 7'6"					
= 174.30 Sft					
Beam					
4 x 16'6" x 2'10" = 186.78					Sft
					549.57
					Sft
					(B)

Continuation B 53,858.00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D.	
cont- item - (6)					BF- 53,858.00
Deductions -					
D- 4x36' x 7' 6" =					98.00
W- 2x3'6" x 5' 0" =					35.00
SKirting item No - (5)					
only - 36' 42. Spt					
					231.42 Spt
					(C)
Net- only -					
(A+B - C)					
					2213.71 + 543.57
					- 231.42
					= 2531.87 Spt

= 235.30 m²

(a) 1436.35/m²

- - - - - 14 8553.00

(7) - Proportion

100 A Brick flat

Soling in floor

(Class Room) -

2x24' x 16' 6" = 797.00 Spt

Veranda -

48' 10" x 7' 0" = 41.81 Spt

1131.80 Spt

= 1051.17 m²

(a) 14 66.55/m²

- - - - - 14 7023.00

Continuation 1469,434.00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D	
					BF- 69,434.0
⑧ - Providing 150mm thick dry rammed kcha beaten 10112 mm thick plaster item no ⑦					
Qty -	10	5.17	m ²		
@ Rs 90.40/m ²					
					- Rs 9508.00
⑨ - Providing 25 mm thick 1st class D.P.S. flooring as per item no - ⑦					
Qty -	10	5.37	m ²		

@ Rs 78.95/m²
 - - - Rs 8319.00

⑩ - S/S/F. M.S grill of 20 x 6mm M.S M.S. flat in window 8 x 3 1/2" x 5'0" = 140 sq ft.
 @ 2.5 kg / sq ft
 = 350 kg

@ Rs 24.00/kg - Rs 8400.00

⑪ - S/S/F of 16 gauge C.R. sheet in door & window.
 4 x 3 1/2" x 7'0" = 98 sq ft
 8 x 3 1/2" x 5'0" = 140 sq ft
 238 sq ft

= 22.19 m² @ Rs 984.86/kg - Rs 21854.00

Continuation Rs 1,17,515.00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No	L	B	D	
				Bf	117,515.00
(2) - S/F/F of 16mm dia ms flat bar					
203 = 6 nos @ Rs					
39.45 each - - Rs					195.00
(3) - Providing three coats of white washing in inner side of wall as per item No - (6)					
Qty - 235.30 m ²					
@ Rs 4.10/m ² - -					
				- - Rs	965.00
(4) - Providing four coats of cement primer					
5mm over 9 coats of cement primer.					
1 x 50'6" x 10'6" = 530.25 sq'					
2 x 26'0" x 10'6" = 546.00 sq'					
1 x 50'6" x 3'0" = 151.50 sq'					
					1227.75 sq'
Deduction -					
w - 6 x 3'6" x 5'0" = 105.00 sq'					
Ver. side - 2 x 7' x 7'6" = 105.00 sq'					
					210.00 sq'
Net Qty -					
1227.75 - 210.00 = 1017.75 sq'					
= 94.59 m ²					
@ Rs 28.30/m ² - - - Rs					2678.00

Continuation Rs 1,21,353

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF	1,21,353
(15) - Providing Reel					
oxide Primer on steel work (Gr 4)					
8 x 3'6" x 5'0" = 140 sq ft					
Stuller -					
2 x 238 sq = 476 sq ft					
		616 sq		sq ft	
= 57.25 m ²					
@ Rs 15.70/m ² - - B					899.
(16) - providing					
two coats of cement					
Paint as per 2 nd part					
no - (15)					

Qty - 57.25 m ²					
@ Rs 25.60/m ² - - B					1466.00
(17) - Providing					
black board					
4 x 8' x 4'0" = 128 sq ft					
= 11.89 m ² @ Rs 95/m ²					
				Rs	1130.00
(18) - Providing					
M.S. Reinforcement					
in Rec-e work -					
in Beam -					
16 mm dia -					
4 x 6 x 18'6" = 444'0"					
Add 5% for overlap					
and cutting					

Continuation Rs 1,24,848.00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No	L	B	D	
				BF	1,24,848.0
wt. slt. qt	-				
=	99' 9"				
	146' 3"				
wt. of slt. (a)			1.59 kg/m		
=	22	6.02 kg			
@ Rs 17.761/kg				Rs	4014.0
12 mm dia					
4 x 9 x 18' 0"			144	100	
Add 5% Extra					
=	7.20	sq ft			
		151.20	sq ft		
=	46.10	m wt. of Rod			
@ 0.89 kg/m					
=	41.01	kg			
@ Rs 17.761/kg				Rs	729.0
In Roof					
10 mm dia					
38 x 50' 6"			1919	10"	
106 x 9' 0"			954	10"	
			2873	10"	
Add 5% Extra				148	10"
				3016	18"
=	919.71	mbs			
wt. of Rod 0.62 kg/m					
=	570.22	kg			
@ Rs 19.85/kg				Rs	11319.0

Continuation Rs 1,40,910.0

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D	
				BF	1140, 910.0
8 m m Fr					
108 nos	18'6"				1598'0"
21 nos	50'6"				1060'6"
4 nos	19'4'6"				342'0"
					3400'8"
Add 5%					170'8"
					3570'6"
					= 1088.57 m
wt. of Road @					0.39 kg
					= 454.59 kg
@ Rs					20.079 / kg
					Rs 9187.00

(9B) - construction

of slabs

(i) - Excavation

of Earth work is

1 x 7' x 4' x 10" = 23.24 cu ft

2 x 9' x 10' x 10" = 19.40 cu ft

35.64 cu ft

= 10.03 m³

@ Rs 21.10 / m³ — Rs 211.00

(ii) - Sand filling

7' x 4' x 3" = 7.00 cu ft

2 x 9' x 10' x 3" = 7.73 cu ft

14.73 cu ft

= 0.303 m³

@ Rs 89.10 / m³ — Rs 27.00

Continuation Rs 1,54,150.00

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No	L	B	D	
				BF	1,50150.0
(iii) - Provisioning					
100A Bricks flat string					
7' x 4' = 28' 00" cft					
2 x 9' x 10' = 180' 94" cft					
			48.94 sst		
			5.94 m ²		
Rs 176.47/m ² - - - Rs 1048.00					
(iv) - Provisioning					
P.C.C. (1:3:6)					
7' x 4' x 4" = 9.91 cft					
2 x 9' x 10" = 180' 75" cft					
			170.67 sst		
			0.40 m ³		
Rs 1301.53/m ² - - - Rs 521.00					
(v) - Brick work					
(1:6)					
7' x 4' x 6" = 14' 00" cft					
7' x 3' x 6" = 10.5 " "					
7' x 2' x 6" = 7.00 " "					
7' x 1' x 6" = 3.50 " "					
			35.00 cft		
			0.99 m ³		
Rs 1157.25/m ² - - - Rs 1147.00					
(vi) - 25 mm thick					
P.S. Slabing in Ramp					
9' x 4' = 36.00 cft					
3.34 m ³ @ Rs 78.95/m ³ = Rs 264.00					
Continuation					Rs 153,130.00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF	153,130
(vii) - plaster and running in step (l.b)					
7' x 6' 6" = 45.5 sq ft.					
= 4.23 m ²					
@ Rs 50.50 / m ²					
				Rs	214
(21/28) - providing					
100 A bricks work in C.M (l.b) as per					
149' 8" x 10" x 3"					
= 31.05 sq ft					
= 0.88 m ³					
@ Rs 1185.85 / m ³					1044.00

				B	1,54,388.00
Less the cost of cement	157 bags @ Rs 140/bags			(C) - B	21,980.00
Less the cost of Steel banding	1292 kg			Rs 25249 (C) - B	25,249.00
				B	1,07,159
Less C.P. - 9.09%				(E) - B	9741
				B	97,418.00
Add the cost of Steel				(F) - B	25,249.00
Add the cost of cement				(G) - B	21,980.00
Continuation Rs					1,44,647.00

Particulars	Details of actual measurement				Content of area
	No.	L	B	D	
				BE	1,44,647.00
Add the carriage of material -					
(i) - Stone chips Kararandika to work site					
Qty - 6000 cu ft.					
= 16.99 m ³					
@ Rs 32.50 / m ³					
				R	5528.00
(ii) - Sand (36 km)					
Qty - 500 cu ft.					
= 14.158 m ³					
@ Rs 37.00 / m ³					
				R	523.80
(iii) - Bricks (8 km)					
Qty - 3500 nos.					
@ Rs 25.50 / nos.					
				R	8925.00
(iv) - Cement (8 km)					
Qty - 157 bags					
= 7.85 MT					
@ Rs 56.81 / MT					
				R	446.50
(v) - Steel (8 km)					
Qty - 1292 kg					
= 1.292 MT					
@ Rs 153.10 / MT					
				R	197.80
1/10% contingency -					
over all - 1,56,806.00					
+ 1,54,994.00					
					1,58,300.00
				R	30,580.00

Continuation Rs 1,58,300.00
1,56,520.00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				Bf	156552 1,58,052
2.5%	Super	in	max		3912.00
	-	-	-	P3	3,951.00
				P3	1,62,003.00
first	M-B.	as	Per		1,60,436.00
Page	No	7		P3	154576.00
					3,16,597.00
					315012.00
					Purchase of land & building
					21.6.00 7
					Super value 5.5%
					Made up by
					Arranged by

Less sale tax
 2 315012.00 (→) 6300.00
 100%

Less Royalty
 1.5 315012.00 (→) 47251.00
 100% → 303987.00

(Three lakhs three thousand nine hundred eighty seven only)

M. S. Reddy
 25.05.08
 2.23.11.10.10

Dr. K. V. Reddy
 25/5/08
 AE, SSA

Continuation

(1)


श्री संजय कुमार सिंह
अध्यक्ष, विद्यालय शिक्षा समिति और प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा
श्री शिव किशोर शाह समिति के बीच देव कर्मरा

निर्माण हेतु एकरारनामा किया गया तथा निम्नलिखित की
उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया और प्रस्तुत किया गया।

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

- 1. प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक
(पुरा नाम , हस्ताक्षर एवं मुहर)
राजेश्वर प्रसाद शर्मा


प्रखण्ड शिक्षा संसाधन केन्द्र
मदनपुर, कोटा

- 1. अध्यक्ष
(i) पुरा नाम - संजय कुमार सिंह
(ii) हस्ताक्षर - संजय कुमार सिंह
- 2. सचिव
(i) पुरा नाम - पद्मेनि देव
(ii) हस्ताक्षर - पद्मेनि देव
- 3. प्रधानशिक्षक
(i) पुरा नाम - सन्देश्वर राम
(ii) हस्ताक्षर - सन्देश्वर राम

खाता सं० - 659

बैंक का नाम - जिला और ग्रामपंचायत संचयन को-ऑपरेटिव बैंक, जयवा, मदनपुर

समिति का मुहर -

- (4) सुनिश्चित करने कि शायदी को व्यवसाय या कार्य-कारण-परिणाम-सूत्र-1 के अन्तर्गत ही (आई. एल. आई.) प्रमाणित सामग्री तैयार करने के लिए शायदी को प्रयोगकर्ता की सहायता तथा वह शायदी को प्रक्रिया के तहत वैश्वीकरण के लिए, शायदी को तैयार किए जायें बैंक खरीदारी निर्देश में अंकित है।
- (5) नियमित रूप से कार्य की प्रगति का पर्यवेक्षण और परीक्षण करेगा तथा परीक्षक / अधीनता द्वारा दिये गये तकनीकी सलाह / निर्देश का पालन करेगा।
- (6) किसी भी प्रकार की अनियमितता को दूर करने के प्रतिनिधि प्रथम श्रेणी शिक्षा प्रसार पदाधिकारी / निरीक्षक / सहायक अभियंता को सूचित करेगा और आवश्यक स्पष्टीकरण मागेगा।
- (7) यह सुनिश्चित करेगा कि शायदी को तैयार करने के लिए आवश्यक सभी प्रकार के शक्ति के अन्दर सामग्री की कीमत प्राप्त करने का कार्य शुरू किया जा सके।
- (8) प्रथम श्रेणी कर्मियों को शायदी प्रयोग के अन्दर ले जायेगा।
- (9) निर्माण के दौरान शायदी को तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री को तैयार करेगा।
- (10) सभी प्रकार के कार्य के लिए आवश्यक सभी प्रावधानों का पालन करेगा और नियम और कानून के तहत इस प्रकार के कार्य को संचालित करेगा।

7.2 विशेष परिस्थिति में दूसरा पक्ष पहले पक्ष को प्रस्तावित कार्य का पूरा करने के लिए दोस वहां बंकिश (छोटे-छाटे स्तर) पर कार्य करा सकते हैं या किसी विशेष पर सरकारी सस्था या मान्य निर्माण सस्था जिसका पुराना रिकार्ड लोक अभियंता को प्रस्तुत करने की जरूरत पड़ता है। इस परिस्थिति में एक सरकारी सस्था / निर्माण सस्था को जिम्मेदारता देना भी पक्षों की शायदी को तैयार या खरीदी होने की संभव या मजदुर क्षतिपूर्ति भुगतान तथा अन्य परभावों को ध्यान रखकर अन्य इस प्रकार के भुगतान की जिम्मेदारी उसकी होगी और प्रथम पक्ष का दूसरे पक्ष को उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।

8. विवाद या मतभेद : यदि कार्य के दौरान किसी भी प्रकार का विवाद या मतभेद एकरास्तामा के किसी भी स्तर पर होता है तो दोनों पक्ष निर्धारित कार्य के पूरा होने का प्रयास करके फिर भी मतभेद नहीं सुलझने पर यह विवाद सुलझ हेतु रिजल के जिलाधिकारी के समक्ष रखा जायेगा। (विभिन्न कार्यक्रम के लिए इसमें फेर बदल किया जा सकता है।)

4.1 निधि के दुरुपयोग करने पर प्रथम पक्ष का आवश्यक पूछताछ एवं अन्वेषण जो आवश्यक प्रतीत हो, के उपरान्त प्रथम पक्ष जो निर्माण समिति का खाता जप्त करने का अधिकार होगा।

5. कार्य पूरा करने की अवधि :-

इस एकरारनामा की तिथि से (महीना सप्ताह/दिन) में कार्य पूरा कर लिया जायेगा विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों के लिखित सहमति से इस कड़िका उल्लेखित समय अवधि में विस्तार किया जा सकता है।

6. प्रथम पक्ष का कर्तव्य और उत्तरदायित्व :

6.1 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को प्राल्प के अनुसार कार्य कराने के लिए नियमित मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। प्राल्प के अनुसार निर्माण और निर्माण से संबंधित सामानों की गुणवत्ता की जाँच करने के लिए प्रथम पक्ष के प्राविष्ट कर्मी निर्माण स्थल का नियमित भ्रमण करेंगे और लिखित मार्ग दर्शन भी देंगे।

6.2 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष का प्रस्तावित कार्य के लिए नकशों की तीन प्रतियाँ प्राल्प और मार्गदर्शन देगा।

6.3 जिला परियोजना अभियंता या परियोजना प्राधिकारी के अधिकृत ऐसे अन्य व्यक्ति प्रखण्ड स्तर पर संबंधित कनीय अभियंता एवं समिति के प्रतिनिधि के साथ सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक परियोजना के लिए अवधि में सुधार किया जा सकता है) बैठक करेंगे और निर्माण स्थल के प्राप्ती कनीय अभियंता कार्य प्रगति का अद्यतन स्थिति और कार्य में होने वाली बाधाओं का उल्लेख करेंगे जो संबंधित समिति के सचिव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। निर्माण कार्य का लेखा-जोखा करने के लिए पूरी टीम स्युक्त रूप से किसी भी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सकती है।

6.4 एकरारनामा में उल्लेखित किये गये किसी भी शर्तों की अवहेलना करने पर या कार्य स्वरूप के अनुसार कार्य नहीं करने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह निर्माण के दौरान किसी भी स्तर पर कार्य को रोक या स्थगित कर सकता है और भुगतान किये गये राशि को पुनः वापस करने की मांग कर सकता है।

7. द्वितीय पक्ष के अधिकार और कर्तव्य :-

7.1 द्वितीय पक्ष :-

- (1) कड़िका 5 के वर्णित समय अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करेगा।
- (2) निर्माण कार्य के लिए कुशल और योग्य व्यक्ति को कार्य में लगाएगा।
- (3) विभिन्न कथों के लिए अधिसूचित दर पर मजदूरी भुगतान करेगा।

4

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद एकरारनामा प्रपत्र

1. यह एकरारनामा प्रपत्र एकरारनामा के रूप में दिनांक का प्रथम पक्ष द्वारा तैयार
समन्वयक सदरपुर औरंगाबाद (जो इसके बाद प्रथम पक्ष के नाम से संदर्भित
होंगे) और विद्यालय शिक्षा समिति बाद सदरपुर औरंगाबाद
प्रखण्ड बाद सदरपुर जिला औरंगाबाद (जो इसके बाद द्वितीय पक्ष के नाम
के संबोधित होंगे) के बीच एक कमरा निर्माण कार्य (कार्य के नाम का
उल्लेख) करने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर एकरारनामा बनाया जाता है।

2. ठंके की कीमत :- कार्य की कुल लागत (जो इसके बाद "कुल लागत" कहा जायेगा)
(शब्दों में) है।

3. निधि आवंटन :-

3.1 द्वितीय पक्ष द्वारा समिति के नाम से जो खाता खोला गया है जि माल संचालन प्रधानाध्यापक तथा समिति के
हस्ताक्षर हो रहा है, उसी खाते में इस कार्य की राशि जमा की जायेगी । राशि प्रखण्ड कार्यालय केन्द्र के
माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी ।

3.2 प्रथम पक्ष द्वारा निर्माण कार्य के लिए भुगतान निम्नलिखित रूप में निर्गत किया जायेगा।

	अतिरिक्त कमरा एवं अन्य स्कीम (प्राक्कलित लागत का % के रूप में)	शौचालय (प्राक्कलित लागत का % के रूप में)
1. प्रथम किस्ता	50%	75%
2. द्वितीय किस्त	35%	---
3. तृतीय किस्त	15%	25%

3.3 प्रत्येक चरण का भुगतान निर्माण स्थल पर नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता और सहायक अभियन्ता द्वारा विहित
प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र विधे जाने पर तथा गिफ्टली निर्गत राशि का कम से कम 50 प्रतिशत और इससे
पूर्व में निर्गत राशि का 100 प्रतिशत खर्च कर दिया गया है, प्रथम पक्ष द्वारा अगले चरण की राशि निर्गत की
जायेगी ।

4. खाता का संचारण :- द्वितीय पक्ष द्वारा समय पर कार्य करने के लिए किये गये भुगतान के अर्थ का अकाउंट
बोरा रखेगा यह धीरा प्रथम पक्ष के दो अन्य दलों के भ्रमण के समय जो इस कार्य के निरीक्षण के लिए
प्रतिनियुक्त होंगी, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

(5)

श्री संजय कुमार सिंह

अध्यक्ष, विद्यालय शिक्षा समिति और प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा

राजेश्वर प्रसाद खाला समिति के बीच श्री केशव

निर्माण हेतु एकरारनामा किया गया तथा निम्नलिखित की

उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया और प्रस्तुत किया गया।

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

1. प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक
(पुरा नाम , हस्ताक्षर एवं मुहर)

राजेश्वर प्रसाद खाला

हस्ताक्षर प्रकाश पदार्थ
खाला, श्री केशव

1. अध्यक्ष

(i) पुरा नाम - संजय कुमार सिंह
(ii) हस्ताक्षर - संजय कुमार सिंह

2. सचिव

(i) पुरा नाम - परमेश्वर देव
(ii) हस्ताक्षर परमेश्वर देव

3. प्रधानशिक्षक

(i) पुरा नाम - कन्हैयालाल शर्मा
(ii) हस्ताक्षर - कन्हैयालाल शर्मा

खाता सं० - 654

बैंक का नाम - राज्य और आंध्र प्रदेश के कोषागार

समिति का मुहर - बैंक, आंध्र प्रदेश, 50-100



- (4) सुनिश्चित करवा कि समझौते में जरीदारों को प्राप्त होनेवाले पैसे पर 10% अनुक्रम है (आई. एस. आई.) प्रमाणित सामग्री का तब तक समझौते में प्राथमिकता दी जाय तथा वह राष्ट्रीय क्रय प्रक्रिया के तहत विभिन्न चरणों के लिए जरीदारों को ज्ञात करा कि विश्व बैंक जरीदारों निर्देश से अंकित है।
- (5) नियमित रूप से कार्य की प्रगति का पर्यवेक्षण और अनुवाद करेगा तथा पर्यवेक्षक/अभियंता द्वारा दिये गये तकनीकी सलाह/निर्देश का पालन करेगा।
- (6) किसी भी प्रकार की अनियमितता या गलत पद्धतियों/प्रणालियों/प्रणाली शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/निरीक्षक/सहायक अभियंता को भ्रूणित करेगा और आवश्यक स्पष्टीकरण मागेगा।
- (7) यह सुनिश्चित करेगा कि एक मास में जरीदारों के द्वारा प्रकृतित राशि के अन्दर लागू की कीमत घटने वृद्धि का सम्बन्ध किया जायेगा।
- (8) प्रखण्ड सहायक जे.ए. को कार्य की प्रगति का पालन करेगा।
- (9) निर्माण के दौरान वेतन वाक्या के अन्तर्गत सभी को भुगतान
- (10) सभी प्रकार के उपरोक्त कार्य करने का प्रावधान है कि यह नियम और कानून के तहत इस प्रकार के कार्य की कटौति कर सकारणी है।

7.2 विशेष परिस्थिति में दूसरा पक्ष मजदूर पक्ष को रोजगार के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए पीस बैंक अंकित (छोटे-छोटे स्तर) पर कार्य करा सकते हैं या किसी न्यूनतम और सरकारी संस्था या मजदूर निर्माण संस्था जिसका पुराना रिकॉर्ड लोक भागीदारी में अच्छा रहा है तो कार्य करा सकते हैं। इस परिस्थिति में और सरकारी संस्था/निर्माण संस्था की जिम्मेदारी निम्नी या प्रकार की समस्या के खान या जरी होने की नकद या मजदूर क्षतिपूर्ति भुगतान तथा अन्य सम्बन्धों के लिए तथा अन्य इस प्रकार के भुगतान की जिम्मेदारी उसकी होगी और प्रथम पक्ष का इसमें कोई उत्तराधिकार नहीं होगा।

8. **विवाद या मतभेद** :- यदि कार्य को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद या मतभेद एकरारनामा के किसी भी स्तर पर होता है तो दोनों पक्ष विचार-विमर्श कर हल चुकाने का प्रयास करेंगे फिर भी मतभेद नहीं सुलझने पर यह विवाद सुलह हेतु जिले के जिलाधिकारी के समक्ष रखा जायेगा। (विभिन्न कार्यक्रम के लिए इसमें फेर बदल किया जा सकता है।)



4.1 तिथि के दुरुपयोग करने पर प्रथम पक्ष को आवश्यक पूछताछ एवं आन्वेषण जो आवश्यक प्रतीत हो, के उपरान्त प्रथम पक्ष के निर्माण समिति का खस्ता जप्त करने का अधिकार होगा।

5. **कार्य पूरा करने की अवधि :-**

इस एकरारनामा की तिथि से(गद्दीना सप्ताह/दिन) में कार्य पूरा कर लिया जायेगा विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों के लिखित सहमति से इस कंडिका उल्लेखित समय अवधि में विस्तार किया जा सकता है।

6. **प्रथम पक्ष का कर्तव्य और उत्तरदायित्व :-**

6.1 प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को प्रारूप के अनुसार कार्य कराने के लिए नियमित मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। प्रथम पक्ष के अनुसार निर्माण और निर्माण से संबंधित सामानों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए प्रथम पक्ष के प्राधिकृत व्यक्ति निर्माण स्थल का नियमित भ्रमण करेगा और लिखित मार्ग दर्शन भी देगा।

6.2 प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष का प्रस्तावित कार्य के लिए नक्शों की तैयारी प्रारूप और मार्गदर्शन देगा।

6.3 जिला परियोजना अभियंता या परियोजना अधिकारी के अधीन ऐसे अन्य व्यक्ति प्रखण्ड स्तर पर संबंधित कनीय अभियंता एवं नमिति के प्रतिनिधि के साथ सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक परियोजना के लिए अवधि में सुधार किया जा सकता है) बैठक करेगा और निर्माण स्थल के प्रभागी कनीय अभियंता कार्य प्रगति का आँकड़ा ब्याज और कार्य में लगे दलों/कर्मियों का उल्लेख करेगा जो संबंधित समिति के सचिव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। निर्माण कार्य का लेखा-जोखा करने के लिए पूरी टीम संयुक्त रूप से किसी भी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सकती है।

6.4 एकरारनामा में उल्लेखित किये गये किसी भी शर्तों को अपहेलना करने पर या कार्य स्वरूप के अनुसार कार्य नहीं करने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह निर्माण के दौरान किसी भी स्तर पर कार्य को रोक या स्थगित कर सकता है और भुगतान किये गये राशि को पुनः वापस करने की मांग कर सकता है।

7. **द्वितीय पक्ष के अधिकार और कर्तव्य :-**

7.1 **द्वितीय पक्ष :-**

- (1) कंडिका 5 में वर्णित समय अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करेगा।
- (2) निर्माण कार्य के लिए कुशल और योग्य व्यक्ति को कार्य में लगाएगा।
- (3) विभिन्न कार्य के लिए अधिसूचित दर पर मजदूरी भुगतान करेगा।

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद

एकरारनामा प्रपत्र

1. यह एकरारनामा प्रपत्र, एकरारनामा के रूप में तिनका के प्रत्यक्ष संस्थापक एवं समन्वयक महाराष्ट्र, औरंगाबाद (जो इसके बाद प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित होंगे) और विद्यालय शिक्षा समिति शारदा मठ-बोर्ड, साठगापुर प्रखण्ड महाराष्ट्र जिला औरंगाबाद (जो इसके बाद द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित होंगे) के बीच शारदा मठ-बोर्ड निर्माण कार्य (कार्य के नाम का उल्लेख) करने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर एकरारनामा बनाया जाता है।

2. ठेके की कीमत :- कार्य का कुल लागत (जो इसके बाद "कुल लागत" कहा जायेगा) (शब्दों में) है।

3. निधि आवंटन :-

3.1 द्वितीय पक्ष द्वारा समिति के नाम से जो खाता खोला गया है जिसका संचालन प्रधानाध्यापक तथा सचिव के हस्ताक्षर हो रहा है, उसी खाते में इस कार्य की राशि जमा की जायेगी। राशि प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

3.2 प्रथम पक्ष द्वारा निर्माण कार्य के लिए भुगतान निम्नलिखित रूप में निर्गत किया जायेगा

	अतिरिक्त कगार एवं अन्य स्कीम (प्राक्कलित लागत का % के रूप में)	शौचालय (प्राक्कलित लागत का % के रूप में)
1. प्रथम किस्त	50%	75%
2. द्वितीय किस्त	35%	---
3. तृतीय किस्त	15%	25%

3.3 प्रत्येक चरण का भुगतान निर्माण स्थल पर नियुक्त कर्मीय अभियन्ता और सहायक अभियन्ता द्वारा तैयार प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिये जाने पर तत्काल पिछली निर्गत राशि का कम से कम 50 प्रतिशत और इससे पूर्व में निर्गत राशि का 100 प्रतिशत खर्च कर दिया गया है, प्रथम पक्ष द्वारा अगले चरण की राशि निर्गत की जायेगी।

4. खाता का संचालन :- द्वितीय पक्ष द्वारा समय पर कार्य करने के लिए किये गये भुगतान के खर्च का अलग ब्यौरा रखेगा यह ब्यौरा प्रथम पक्ष के या अन्य दलों के भ्रमण के समय जो इस कार्य के निरीक्षण के लिए प्रतिनियुक्त होगी, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

(9)

श्री सेनाय इमारत स्केट
 अध्यक्ष, विद्यालय शिक्षा समिति और प्रखण्ड संसाधन केंद्र समन्वयक द्वारा
राठ क्वीन गिर प्राय पुर समिति के बीच दो कमरा
 निर्माण हेतु एकरारनामा किया गया तथा निम्नलिखित की
 उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया और प्रस्तुत किया गया।

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

1. प्रखण्ड संसाधन केंद्र समन्वयक
(पुरा नाम , हस्ताक्षर एवं मुहर)

राजेश्वर प्रसाद शर्मा

मुख्य शिक्षा अधिकारी
भवनपुर, झारखण्ड

1. अध्यक्ष
(i) पुरा नाम - संजय कुमार सिंह
(ii) हस्ताक्षर - संजय कुमार सिंह
2. सचिव
(i) पुरा नाम - परमेश्वर देव
(ii) हस्ताक्षर - परमेश्वर देव
3. प्रधानशिक्षक
(i) पुरा नाम - चंद्रशेखर नाम
(ii) हस्ताक्षर - चंद्रशेखर नाम

खाता सं० - 1-5-19

बैंक का नाम - विद्यालय शिक्षा समिति के अंतर्गत
बैंक, कानपुर, महाराष्ट्र

समिति का मुहर -

- (4) सुनिश्चित करेंगे कि सामग्री की जांचदारी आमतौर पर वरिष्ठ एंगेजमेंट-न के अनुसूच्य को (आई. एस. आई.) परामर्श समझा जाते तक सम्बन्धित करीब से प्रदर्शनकर्ता दी जाय तथा यह राष्ट्रीय स्तर प्रक्रिया के तहत विभिन्न चरणों के लिए समर्थन प्रदान करने के लिए बैंक खरीदारी निर्देश में अंकित है।
- (5) नियमित रूप से कार्य की प्रगति जांचने/जांच करेगा तथा पर्यवेक्षक / अभियंता द्वारा दिये गये तकनीकी सलाह / निर्देश का पालन करेगा।
- (6) किसी भी प्रकार की अनियमितता का पहला पक्ष के प्रतिनिधि, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी / निरीक्षक / सहायक अभियंता को सूचित करेगा और आवश्यक साप्टीकरण मागेगा।
- (7) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य के प्रारम्भ के अनुसार, कुल प्राकल्पित राशि के अन्दर सामग्री की कीमत घटाने बढ़ाने के बावजूद किया जा सकेगा।
- (8) प्रखण्ड ससचिव केन्द्र में कार्य की प्रगति से सम्बन्धित जानकारी प्रदान करेगा।
- (9) निर्माण के दौरान पैसा / सामग्री के गलत उपयोग को रोकगा।
- (10) सभी प्रकार के गड़बड़ी के तहत कार्य करने का प्रयास से प्रथम पक्ष निरूपण और जानून के तहत इस प्रकार के टैकन की कार्रवाई कर सक्ती है।

7.2 विशेष परिस्थिति में दूसरा पक्ष पहले पक्ष को स्वीकृति से निर्माण कार्य का पूरा करने के लिए पीस वर्क बेसिस (छोटे-छोटे स्तर) पर कार्य करा सकते है जो कि गैर सहायक गैर सरकारी संस्था या मान्य निर्माण संस्था जिसका पुराना रिकार्ड लोक भागीदारों में अस्तित्व में है। इस परिस्थिति में गैर सरकारी संस्था / निर्माण संस्था की जिम्मेदारी होगी की पुराने की सामग्री के खोने या चोरी होने की नजद या मजदुर क्षतिपूर्ति भुगतान तथा अन्य परामर्शों के लिए तथा अन्य इस प्रकार के भुगतान की जिम्मेदारी उसकी होगी और प्रथम पक्ष का इसमें कोई सम्बन्धित्व नहीं रहेगा।

8. **विवाद या मतभेद :-** यदि कार्य का लेकर किसी भी प्रकार का विवाद या मतभेद एकरारनामा के किसी भी स्तर पर होता है तो दोनों पक्ष विचार-विमर्श कर हल नूढ़ने का प्रयास करेंगे फिर भी मतभेद नही सुलझने पर यह विवाद सुला हेतु जिले के जिन अधिकारी के सम्मन रखा जायेगा (विभिन्न कार्यक्रम के लिए इसमें फेर बदल किया जा सकता है।)

(11)

4.1 निधि के दुर्लभकरण करने पर प्रथम पक्ष को आवश्यक पूछताछ एवं आन्वेषण जो आवश्यक प्रतीत हो के उपरान्त प्रथम पक्ष को निमाण समिति का खतना जप्त करने का अधिकार होगा।

5. कार्य पूरा करने की अवधि :-

इस एकरारनामा की तिथि से (मास/सप्ताह/दिन) में कार्य पूरा कर लिया जायेगा विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों के लिखित सहमति से इस कंडिका उल्लेखित समय अवधि में विस्तार किया जा सकता है।

6. प्रथम पक्ष का कर्तव्य और उत्तरदायित्व :-

6.1 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को प्रारूप से अनुसार कार्य कराने के लिए नियमित मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। प्रारूप के अनुसार निर्माण और निर्माण से संबंधित सामानों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए प्रथम पक्ष के प्राधिकृत कर्मी निर्माण स्थल का नियमित भ्रमण करेंगे और लिखित मार्ग दर्शन भी देगे।

6.2 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को प्रस्तावित कार्य के लिए नक्शों की तीन प्रतियाँ प्रारूप और मार्गदर्शन देगा।

6.3 जिला परियोजना अभियंता या परियोजना प्राधिकारी के अधिकृत ऐसे अन्य व्यक्ति प्रकरण स्तर पर संबंधित कर्मीय अभियंता एवं समिति के प्रतिनिधि के साथ सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक परियोजना के लिए अवधि में सुधार किया जा सकता है) बैठक करेंगे और निर्माण स्थल के प्रभारी कर्मीय अभियंता कार्य प्रगति का आकलन करेगा और कार्य से होने वाली कठिनाईयों का उल्लेख करेंगे जो संबंधित समिति के सचिव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। निर्माण कार्य का लेखा-जोखा करने के लिए पूरी टीम संयुक्त रूप से किसी भी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सकती है।

6.4 एकरारनामा में उल्लेखित किये गये किसी भी शर्तों की अवहेलना करने पर या कार्य स्वरूप के अनुसार कार्य नहीं करने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह निर्माण के दौरान किसी भी स्तर पर कार्य को रोक या स्थगित कर सकता है और गुणवत्ता किये गये राशि को पुन वापस करने की मांग कर सकता है।

7. द्वितीय पक्ष के अधिकार और कर्तव्य :-

7.1 द्वितीय पक्ष :-

- (1) कंडिका 5 में वर्णित समय अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करेगा।
- (2) निर्माण कार्य के लिए गुणवत्ता और योग्य व्यक्ति को कार्य में लगाएगा।
- (3) विभिन्न कार्यों के लिए अधिसूचित दर पर मजदूरी भुगतान करेगा।

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद एकरारनामा प्रपत्र

1. यह एकरारनामा प्रपत्र एकरारनामा के रूप में दिनांक का प्रखण्ड समन्वयक का प्रखण्ड समन्वयक (जो इसके बाद प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित होंगे) और विद्यालय शिक्षा समिति (जो इसके बाद द्वितीय पक्ष के नाम के संबोधित होंगे) के बीच निर्माण कार्य (कार्य के नाम का उल्लेख) करने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर एकरारनामा बनाया जाता है।

2. ठेके की कीमत :- कार्य की कुल लागत (जो इसके बाद 'कुल लागत' कहा जायेगा) (शब्दों में) है।

3. निधि आवंटन :

3.1 द्वितीय पक्ष द्वारा समिति के नाम से जो खाता खोला गया है जिसका संचालन प्रधानाध्यापक तथा समिति के हस्ताक्षर हो रहा है, उसी खाते में इस कार्य की राशि जमा की जायेगी। राशि प्रखण्ड संचालन केन्द्र से माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।

3.2 प्रथम पक्ष द्वारा निर्माण कार्य के लिए भुगतान निम्नलिखित रूप में निर्गत किया जाएगा:

	अतिरिक्त कामरा एवं अन्य स्कीम (प्राक्कलित लागत का % के रूप में)	शौचालय (प्राक्कलित लागत का % के रूप में)
1. प्रथम किस्त	50%	75%
2. द्वितीय किस्त	35%	---
3. तृतीय किस्त	15%	25%

3.3 प्रत्येक चरण का भुगतान निर्माण स्थल पर नियुक्त कर्मीय अभियन्ता और सहायक अभियन्ता द्वारा विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिये जाने पर तथा पिछली निर्गत राशि का कम से कम 100 प्रतिशत और इसके पूर्व में निर्गत राशि का 100 प्रतिशत खर्च कर दिया गया है, प्रथम पक्ष द्वारा अगले चरण की राशि निर्गत की जायेगी।

4. खाता का संचालन :- द्वितीय पक्ष द्वारा समय पर कार्य करने के लिए किये गये भुगतान के खर्च का अलग ब्यौरा रखेगा यह ब्यौरा प्रथम पक्ष के या अन्य दलों के भ्रमण के समय जो इस कार्य के निरीक्षण के लिए प्रतिनियुक्त होगी, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

(13)

श्री संजय कुमार सिंह
 अध्यक्ष, विद्यालय शिक्षा समिति और प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा
राजपुर समिति के बीच दो कठरा
 निर्माण हेतु एकरारनामा किया गया तथा निम्नलिखित की
 उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया और प्रस्तुत किया गया।

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

1. प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक
 (पुरा नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर)
राजपुर प्रसाद कोर

संख्या १०५५
 राजपुर, श्रीगंगा

1. अध्यक्ष
 (i) पुरा नाम - संजय कुमार सिंह
 (ii) हस्ताक्षर - संजय कुमार सिंह
2. सचिव
 (i) पुरा नाम - परमनि देव
 (ii) हस्ताक्षर - परमनि देव
3. प्रधानशिक्षक
 (i) पुरा नाम - चन्द्र उवर नाम
 (ii) हस्ताक्षर - चन्द्र उवर नाम

खारा सं० - १५१

बैंक का नाम - राजपुर प्रखण्ड केन्द्र के अंतर्गत

समिति का मुहर - राजपुर, श्रीगंगा

- (4) सुनिश्चित करेगा कि सामग्री का वितरण ही या अन्य कानून से पूर्वकृत तक अनुसूचित (आई. एस. आई.) प्रमाणित सामग्री नहीं तक सम्बन्धित व्यक्तियों से प्राप्त करता है। साथ ही वह राष्ट्रीय क्रय प्रक्रिया के तहत निम्न सरकारी या निजी व्यक्तियों को भी विश्व बैंक खरीदारी निर्देश में अंकित है।
- (5) नियमित रूप से कार्य की प्रगति का पर्यवेक्षण और अनुसूचित रूप से पर्यवेक्षक/अभियंता द्वारा दिये गये तकनीकी सहाय निर्देश का पालन करेगा।
- (6) किसी भी प्रकार की अनियमितता को पहले पक्ष के प्रतिनिधि प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/निरीक्षक/सहायक अभियंता को सूचित करेगा और आवश्यक स्पष्टीकरण मागेगा।
- (7) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य का प्रगति के अनुसूचित प्रखण्ड स्तर तक के अन्दर सामग्री की कीमत घटाने का प्रयत्न प्रकृत प्रक्रिया में न करेगा।
- (8) प्रखण्ड सम्बन्धित कार्य में कार्य की प्रगति का पर्यवेक्षण करेगा।
- (9) निर्माण के दौरान पैदा, सामग्री की मात्रा सम्बन्धित कार्य करेगा।
- (10) सभी प्रकार के कार्य को पालन पालन करने का प्रयास करेगा। प्रथम पक्ष नियम और कानून के तहत इस प्रकार के टेंडर की जाती है।

7.2 विशेष परिस्थिति में दूसरा पक्ष प्रथम पक्ष से स्वीकृत हो निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए थोड़ा बर्क बोरिंग (छोटे-छोटे स्तर) पर कार्य करा सकते हैं। इस निर्माण प्रकृत प्रखण्ड स्तर या अन्य निर्माण प्रकृत जिसका पुराना रिकार्ड लोक भागीदारों से प्राप्त कर सकते हैं। इस परिस्थिति में भी सरकारी प्रकृत/निर्माण प्रकृत की। इसके अतिरिक्त भी प्रकृत का सम्बन्धित प्रकृत का दोरे होने की मजदूर या मजदूर क्षतिपूर्ति भुगतान तथा अन्य व्यक्तियों के लिए तथा अन्य प्रकृत में भुगतान की जिम्मेदारों उसकी होगी और प्रथम पक्ष को इसमें कोई अतिक्रमण नहीं होगा।

8. **विवाद या मतभेद :-** यदि कार्य का लेजर किसी भी प्रकार का विवाद या मतभेद एकतरनामा के किसी भी स्तर पर होता है तो दोनों पक्ष विचार-विमर्श कर हल करने का प्रयास करेंगे फिर भी मतभेद नही सुलझने पर यह विवाद सुलझने जिले के जिल्लाधिकारी के सम्मक्ष रखा जायेगा। (विभिन्न कार्यक्रम के लिए इसमें फेर बदल किया जा सकता है।)

(15)

4.1 निधि के दुरुपयोग करने पर प्रथम पक्ष को आवश्यक पूछताछ एवं आन्वेषण जो आवश्यक प्रतीत हो, के उपरान्त प्रथम पक्ष को निम्नलिखित समिति का खाता जमा करने का अधिकार होगा।

5. कार्य पूरा करने की अवधि :

इस एकरारनामा की तिथि से (नहीना, सप्ताह/दिन) में कार्य पूरा कर लिया जायेगा विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों के लिखित सहमति से इस कंडिशन उल्लेखित समय अवधि में विस्तार किया जा सकता है।

6. प्रथम पक्ष का कर्तव्य और उत्तरदायित्व :

6.1 प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष का प्रारूप के अनुसार कार्य कराने के लिए नियमित मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। प्रारूप के अनुसार निर्माण और निर्माण से संबंधित सामानों की गुणवत्ता की जाँच करने के लिए प्रथम पक्ष के प्राधिकृत कर्मी निर्माण स्थल का नियमित भ्रमण करेंगे और लिखित मार्ग दर्शन भी देगे।

6.2 प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष का प्रस्तावित कार्य के लिए नक्शों की तीन प्रतियाँ प्रारूप और मार्गदर्शन देगा।

6.3 जिला परियोजना अभियंता या नगियोजना प्राधिकारी के अधिकृत ऐसे अन्य व्यक्ति प्रत्येक स्तर पर संबंधित कर्मीय अभियंता एवं सामग्री के प्रतिनिधि के साथ सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक परियोजना के लिए अवधि में सुधार किया जा सकता है) बैठक करेंगे और निर्माण स्थल के प्रगती कर्मीय अभियंता कार्य प्रगति का आ-तन ब्यौर और कार्य में होने वाली कठिनाईयों का उल्लेख करेंगे जो संबंधित समिति के सचिव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा, निर्माण कार्य का लेखा-लोख करने के लिए पूरी टीम समुक्त रूप से किसी भी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सकती है।

6.4 एकरारनामा में उल्लेखित किये गये किसी भी शर्तों की अवहेलना करने पर या कार्य स्वरूप के अनुसार कार्य नहीं करने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह निर्माण के दौरान किसी भी स्तर पर कार्य को रोक या स्थगित कर सकता है और भुगतान किये गये राशि को पुनः वापस करने की मांग कर सकता है।

7. द्वितीय पक्ष के अधिकार और कर्तव्य :

7.1 द्वितीय पक्ष :-

- (1) कंडिशन 5 में वर्णित समय अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करेगा।
- (2) निर्माण कार्य के लिए कुशल और योग्य व्यक्ति को कार्य में लगाएगा।
- (3) विभिन्न कार्यों के लिए अधिसूचित दर पर मजदूरी भुगतान करेगा।

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद एकरारनामा प्रपत्र

1. यह एकरारनामा प्रपत्र, एकरारनामा के रूप में दिनांक को प्रखण्ड संसाधन केंद्र समन्वयक मयरापुर, औरंगाबाद (जो इसके बाद प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित होंगे) और विद्यालय शिक्षा समिति राठ शहर निरं भाणपुर प्रखण्ड मयरापुर जिला औरंगाबाद (जो इसके बाद द्वितीय पक्ष के नाम के संबोधित होंगे) के बीच बैंगल कक्षा निर्माण कार्य (कार्य के नाम का उल्लेख) करने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर एकरारनामा बनाया जात है।

2. ठेके की कीमत :- कार्य की कुल लागत (जो इसके बाद "कुल लागत" कहा जायेगा) (शब्दों में) है।

3. निधि आवंटन :-

3.1 द्वितीय पक्ष द्वारा समिति के नाम से जो खाता खोला गया है जिसका संवाहन प्रधानाध्यापक तथा सचिव के हस्ताक्षर हो रहा है उसी खाते में इस कार्य की राशि जमा की जायेगी ; राशि प्रखण्ड संसाधन केंद्र के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी ।

3.2 प्रथम पक्ष द्वारा निर्माण कार्य के लिए भुगतान निम्नलिखित रूप में निर्गत किया जायेगा

	अतिरिक्त कमरा एवं अन्य स्कीम (प्राक्कलित लागत का % के रूप में)	शौचालय (प्राक्कलित लागत का % के रूप में)
1. प्रथम किस्त	50%	75%
2. द्वितीय किस्त	35%	—
3. तृतीय किस्त	15%	25%

3.3 प्रत्येक चरण का भुगतान निर्माण स्थल पर नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता और सहायक अभियन्ता द्वारा निर्देश प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिये जाने पर तथा पिछली निर्गत राशि का कम से कम 50 प्रतिशत और इसके पूर्व में निर्गत राशि का 100 प्रतिशत खर्च कर दिया गया है, प्रथम पक्ष द्वारा अगले चरण की राशि निर्गत की जायेगी ।

4. खाता का संचारण :- द्वितीय पक्ष, द्वारा समय पर कार्य करने के लिए किये गये भुगतान के खर्च का अलग ब्यौरा रखेगा यह ब्यौरा प्रथम पक्ष के या अन्य दलों के भ्रमण के समय जो इस कार्य के निरीक्षण के लिए प्रतिनियुक्त होगी, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद

कार्य - आदेश

(17)

विद्यालय शिक्षा समिति द्वितीय फ्ल एवं B.R.C.C. अंचल
के बीच दिनांक को किये गये एकरारनामा अतिरिक्त कमरा बरामदा सहित / स्कूललय
निर्माण के लिये योजना की प्राक्लित राशि 1.20 करोड़ के अन्तर्गत के अन्तर्गत पर सर्व शिक्षा अभियान की निदेशिका
में निर्धारित प्रक्रिया नियमावली और दितीय प्राक्धान के अधीन विद्यालय शिक्षा सांघाति प्रा. वि. 7/90 वि. 0
अंचल को अनुमति निम्नांकित शर्तों पर दी जाती है।

शर्त :-

1. कार्य प्रारम्भ आदेश निर्गत करने की तिथि से अतिरिक्त कमरे / शौचालय का निर्माण क्रमशः तीन माह तथा एक माह के अन्दर करना अनिवार्य होगा।
2. तकनीकी कार्यों की देखरेख एवं स्वीकृति ग्रामीण अभियंत्रण विशेष प्रमण्डल औरंगाबाद के प्रवेक्षण/अनुरक्षण/अनुदेश /निदेश के अन्तर्गत किया जायेगा। उनके द्वारा निर्धारित अभियंता के द्वारा अधीन कार्य करना अनिवार्य होगा।
3. एकरारनामा में विहित शर्तों एवं अनुदेशों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा।
4. यदि किसी भी स्तर पर घटिया सामग्री लगाने/उपयोग करने की शिकायत प्राप्त होने पर निर्धारित राशि से कटौती कर भुगतान किया जायेगा।
5. निर्माणकार्य सर्व शिक्षा अभियान के राज्य कार्यालय एवं जिला ग्रामीण अभियंत्रण संगठन के स्वीकृत नक्शों और प्राक्धान के अनुरूप कार्य करना अनिवार्य होगा।

अपर समन्वयक सह
प्रभारी असेनिक कार्य
सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद।

जिला कार्यक्रम समन्वयक
सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद

ज्ञापांक 26/ /SSA औरंगाबाद, दिनांक 10.6.04
प्रतिलिपि अध्यक्ष/सचिव/विद्यालय शिक्षा समिति अंचल प्रखण्ड
समन्वयक /प्रधान शिक्षक प्रा. वि. 0 प्रखण्ड
/कार्यपालक/सहायक/कनीय अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विशेष प्रमण्डल औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. लेखा पदाधिकारी/लेखापाल सर्व शिक्षा अभियान औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर समन्वयक सह
प्रभारी असेनिक कार्य
सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद।

जिला कार्यक्रम समन्वयक
सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद


सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद


(18)

कार्य - आदेश

विद्यालय शिक्षा समिति ~~1/2/2012~~ ~~1/2/2012~~ द्वितीय फ्ला एवं B.R.C.C. ~~1/2/2012~~ अंचल ~~1/2/2012~~ के बीच दिनांक ~~1/2/2012~~ को किये गये एकरारनामा अतिरिक्त कमरा ~~1/2/2012~~ सहित / ~~1/2/2012~~ निर्माण के लिये योजना की प्राक्लित राशि 1.20 ~~1/2/2012~~ के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान की निदेशिका में निर्धारित प्रक्रिया नियमावली और द्वितीय प्राक्घान के अधीन विद्यालय शिक्षा समिति ~~1/2/2012~~ को अनुमति निम्नांकित शर्तों पर दी जाती है।

- शर्त :-
1. कार्य प्रारम्भ आदेश निर्गत करने की तिथि से अतिरिक्त कमरे / ~~1/2/2012~~ का निर्माण क्रमशः तीन माह तथा एक माह के अन्दर करना अनिवार्य होगा।
 2. तकनिकी कार्यों की देखरेख एवं स्वीकृति ग्रामीण अभियंत्रण विशेष प्रमण्डल औरंगाबाद के प्रवेक्षण/अनुरक्षण/अनुदेश /निर्देश के अन्तर्गत किया जायेगा। उनके द्वारा निर्धारित अभियंता के द्वारा अर्पित कार्य करना अनिवार्य होगा।
 3. एकरारनामा में विहित शर्तों एवं अनुदेशों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा।
 4. यदि किसी भी स्तर पर घटिया सामग्री लगाने /उपयोग करने की शिकायत प्राप्त होने पर निर्धारित राशि से कटौती कर भुगतान किया जायेगा।
 5. निर्माणकार्य सर्व शिक्षा अभियान के राज्य कार्यालय एवं जिला ग्रामीण अभियंत्रण संगठन के स्वीकृत नक्शों और प्राक्लन के अनुरूप कार्य करना अनिवार्य होगा।



अपर समन्वयक सह
प्रभारी असेनिक कार्य
सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद।


जिला कार्यक्रम समन्वयक
सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद

डायांक 261 /SSA औरंगाबाद, दिनांक 10.6.03
प्रतिलिपि अध्यक्ष/सचिव/विद्यालय शिक्षा समिति ~~1/2/2012~~ ~~1/2/2012~~ प्रखण्ड ~~1/2/2012~~
समन्वयक ~~1/2/2012~~ /प्रधान शिक्षक प्रखण्ड ~~1/2/2012~~ वि० ~~1/2/2012~~ प्रखण्ड ~~1/2/2012~~
/कार्यपालक/सहायक/कनीय अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विशेष प्रमण्डल औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. लेखा पदाधिकारी/लेखापाल सर्व शिक्षा अभियान औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


अपर समन्वयक सह
प्रभारी असेनिक कार्य
सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद।


जिला कार्यक्रम समन्वयक
सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद


(19)

कार्य - आदेश

विद्यालय शिक्षा समिति ~~...~~ द्वितीय पक्ष एवं B.R.C.C. ~~...~~ अंचल ~~...~~ के बीच दिनांक ~~...~~ को किये गये एकरारनामा, अतिरिक्त कमरा वरामदा सहित / ~~...~~ निर्माण के लिये योजना की प्राक्कीर्त राशि 1.20 ~~...~~ के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान की निदेशिका में निर्धारित प्रक्रिया नियमावली और वित्तीय प्रावधान के अधीन विद्यालय शिक्षा समिति ~~...~~ अंचल ~~...~~ को अनुमति निम्नांकित शर्तों पर दी जाती है।

1. कार्य प्रारम्भ आदेश निर्गत करने की तिथि से अतिरिक्त कमरे / ~~...~~ का निर्माण क्रमशः तीन माह तथा एक माह के अन्दर करना अनिवार्य होगा।
2. तकनीकी कार्यों की देखरेख एवं स्वीकृति ग्रामीण अभियंत्रण विशेष प्रमण्डल औरंगाबाद के प्रवेक्षण/अनुरक्षण/अनुदेश/निदेश के अन्तर्गत किया जायेगा। उनके द्वारा निर्धारित अभियंता के द्वारा अधीन कार्य करना अनिवार्य होगा।
3. एकरारनामा में विहित शर्तों एवं अनुदेशों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा।
4. यदि किसी भी स्तर पर घटिया सामग्री लगाने/उपयोग करने की शिकायत प्राप्त होने पर निर्धारित राशि से कटौती कर भुगतान किया जायेगा।
5. निर्माणकार्य सर्व शिक्षा अभियान के राज्य कार्यालय एवं जिला ग्रामीण अभियंत्रण संगठन के स्वीकृत नक्शे और प्राक्लन के अनुरूप कार्य करना अनिवार्य होगा।


अपर समन्वयक सह
प्रभारी असैनिक कार्य
सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद।



जिला कार्यक्रम समन्वयक
सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद


झापांक 261 / SSA औरंगाबाद, दिनांक 10-1-08

प्रतिलिपि अध्यक्ष/सचिव/विद्यालय शिक्षा समिति ~~...~~ प्रखण्ड ~~...~~

समन्वयक ~~...~~ / प्रधान शिक्षक प्रा. वि. ~~...~~ प्रखण्ड ~~...~~
/ कार्यपालक / सहायक / कनीय अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विशेष प्रमण्डल औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2 लेखा पदाधिकारी/लेखापाल सर्व शिक्षा अभियान औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


अपर समन्वयक सह
प्रभारी असैनिक कार्य
सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद।


जिला कार्यक्रम समन्वयक
सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद

26


सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद


कार्य - आदेश

विद्यालय शिक्षा समिति प्रक्रिया-५१०५८२ द्वितीय फ्ला एवं B.R.C.C. प्रक्रिया-५१०५८२ अंचल प्रक्रिया-५१०५८२ के बीच दिनांक को किये गये एकरारनामा अतिरिक्त कमरे बरामदा सहित / स्वीकृत निर्माण के लिये योजना की प्राक्कीत राशि 1.25 लाख / 10 हजार के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान की निर्देशिका में निर्धारित प्रक्रिया नियमावली और वित्तीय प्रावधान के अधीन विद्यालय शिक्षा समिति प्रक्रिया-५१०५८२/५० वि० प्रक्रिया-५१०५८२ अंचल प्रक्रिया-५१०५८२ को अनुमति निम्नांकित शर्तों पर दी जाती है।

शर्त :-


1. कार्य प्रारम्भ आदेश निर्गत करने की तिथि से अतिरिक्त कमरे / स्वीकृत का निर्माण क्रमशः तीन माह तथा एक माह के अन्दर करना अनिवार्य होगा।
2. तकनीकी कार्यों की देखरेख एवं स्वीकृति ग्रामीण अभियंत्रण विशेष प्रमण्डल औरंगाबाद के प्रवेक्षण/अनुसूचण/अनुदेश /निदेश के अन्तर्गत किया जायेगा। उनके द्वारा निर्धारित अभियंता के द्वारा अधीन कार्य करना अनिवार्य होगा।
3. एकरारनामा में विहित शर्तों एवं अनुदेशों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा।
4. यदि किसी भी स्तर पर घटिया सामग्री लगाने/उपयोग करने की शिकायत प्राप्त होने पर निर्धारित राशि से कटौती कर भुगतान किया जायेगा।
5. निर्माणकार्य सर्व शिक्षा अभियान के राज्य कार्यालय एवं जिला ग्रामीण अभियंत्रण संगठन के स्वीकृत नक्शे और प्राक्कन के अनुरूप कार्य करना अनिवार्य होगा।



अपर समन्वयक सह
प्रभारी असेनिक कार्य
सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद।


जिला कार्यक्रम समन्वयक
सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद

आपाक 261 /SSA औरंगाबाद, दिनांक 10.6.09
प्रतिलिपि अध्यक्ष/सचिव/विद्यालय शिक्षा समिति प्रक्रिया-५१०५८२ अंचल प्रक्रिया-५१०५८२ / प्रखण्ड
समन्वयक प्रक्रिया-५१०५८२ / प्रधान शिक्षक प्रक्रिया-५१०५८२/५० वि० प्रक्रिया-५१०५८२ प्रखण्ड प्रक्रिया-५१०५८२
/कार्यपालक/सहायक/कनीय अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विशेष प्रमण्डल औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. लेख पदाधिकारी/लेखापाल सर्व शिक्षा अभियान औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


अपर समन्वयक सह
प्रभारी असेनिक कार्य
सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद।


जिला कार्यक्रम समन्वयक
सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद

विषय :- द्वितीय किरान के मुआवजा के सम्बन्ध में

महोदय

सविनय निवेदन है कि राजकीय नक्ष विभाग
आकाशवाणी : कैंपल - मदनपुरा : किरान - कोरेगावाडी सर्क डिवा -
किरान के सम्बन्ध में किरान समुदाय के किरान
हेतु 190680 = 10 (एक लाख नब्बे हजार रु: ही अर्हता (अर्हता नस्ति)
प्राप्त हुआ था। जिसके ऊपर किरान का कार्य पूर्ण हो चुका है।
किरान के अन्तर्गत 155000 = 10 (एक लाख 55 हजार -
पचास हजार रु: ही अर्हता) मुआवजा ही चुका है।

कम: श्रीमान से निवेदन है कि किरान
हेतु द्वितीय किरान का मुआवजा अर्थात् प्रत्येक रु -
रुपया 100000 के लिए 5.00% एक साल के किरान प्रदा
कर होगा।

श्री. श्री. किरान के - कोरेगावाडी
मदनपुरा - मदनपुरा के किरान
किरान के अन्तर्गत किरान प्रदा
कर होगा।
किरान प्रदा
कर होगा -
22.6.66
मदनपुरा - मदनपुरा

किरान प्रदा

22.6.66

किरान प्रदा

C/S

24/6/66
A.E

